

नाम न्यायालय
केस संख्या

फर्द अहकाम
बनाम *कृष्णराज*
135/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/8/23	<i>पत्रावली पेश की वकील का पत्र पढ़ा गया वह्य आपत्ति प्रवेक्षण सिफेरी की गई थी बागीरा किंगड 22/8/2023 को पेश की</i>
	22/8/23	<i>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब : अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8/23 को पेश हों।</i>
	30/8/23	<i>पत्रावली पेश की। वकील का पत्र पढ़ा गया प्रकरण में वह्य आपत्ति प्रवेक्षण सिफेरी की गई थी। सफेरी का पत्र पेश प्रवेक्षण 22/8/23 को जानी है प्रकरण सं 133/2023 के साथ उक्त प्रकरण का की निस्तारण समाप्त संकेत पत्रावली को सही शर्तों पर को पेश की वकील का पत्र पढ़ा गया</i>

Pr. Adv. Rajesh Kumar
Ex & Respondent



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर
राजस्व वाद संख्या :- 135/2023
न्यू पाथ डेवलपर्स एल.एल.पी जरिये पार्टनर/हस्ताक्षरकर्ता श्री अवदेश शर्मा पता
508 आके प्लस टॉवर के.वी. 5 के पास मानसरोवर जयपुर।

बनाम

- 1. कालूराम पुत्र हनुमान ✓
 - 2. गुल्ली देवी उर्फ मुल्ली देवी पत्नी हनुमान ✓
 - 3. गोवर्धन लाल पुत्र हनुमान ✓
 - 4. जगदीश पुत्र छेद ✓
 - 5. मदन लाल पुत्र हनुमान ✓
 - 6. ममता देवी पुत्री हनुमान ✓
 - 7. मांगीलाल पुत्र श्री नारायण
 - 8. रंगलाल पुत्र धन्ना
 - 9. रामलाल पुत्र धन्ना
 - 10. रामेश्वर पुत्र धन्ना ✓
 - 11. लालाराम पुत्र हनुमान
 - 12. संतोष देवी पुत्री हनुमान ✓
 - 13. हीरा देवी पुत्री हनुमान ✓
- समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर ✓
 - 15. उपपंजीयक कार्यालय तहसील सांगानेर जिला जयपुर ✓

-----वादी

-----प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

महोदय जी,

वादी की ओर से निम्न प्रकार वाद पत्र सादर प्रस्तुत है:-

For New Path Developers LLP

अवदेश शर्मा
Authorised Signatory

